बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

विज्ञापन सं० – 08/2019

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर पद पर नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने के लिए On-line आवेदन देने हेतु सूचना

(चिकित्सक कृपया ध्यान दें)

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर (तीन वर्षीय) पदों पर नियुक्ति हेतु सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 व संशोधित नियमावली 2013 के अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। उक्त नियमावली के संगत प्रावधान निम्न प्रकार हैं:–

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेन्टों/ट्यूटर के पद तीन वर्षीय टेन्योर शैक्षणिक पद होंगे। टेन्योर पदों पर नियुक्ति एतद् द्वारा निर्धारित निम्न मापदंड/शर्त्तों के आधार पर की जाएगी:–

प्रति वर्ष सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के 40% पद बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों से, भरा जायेगा एवं 40% पद राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम (रेजिडेन्सी स्कीम के अन्तर्गत) पूरा किये हो तथा शेष 20% पद वैसे चिकित्सकों से भरा जायेगा जिन्होंने राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातकोत्तर डिग्री (रेजिडेन्सी स्कीम) प्राप्त किया हो । सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विषय–विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि होगी।

इसी परिप्रेक्ष्य में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के निम्नांकित विषयों में ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट के रिक्त टेन्योर (तीन वर्षीय) पदों पर निम्नलिखित विभागों में नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने के निमित्त On-line आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: -

counselling का कार्यक्रम

counselling स्थल –आर0एस0बी0 ऑडिटोरियम, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना समय– 10:00 बजे पूर्वाह्न से			
क्र0सं0	विभाग का नाम एवं counselling की तिथि 24.10.2019	क्र0सं0	विभाग का नाम एवं counselling की तिथि 25.10.2019
1.	औषधि	2.	हड्डी रोग
		3.	टी0बी0 एवं चेस्ट

टेन्योर पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें :–

1. 31.07.2019 तक की रिक्ति को इस पैनल से भरा जाएगा। इस पैनल की मान्यता 01 (एक) वर्ष तक रहेगी।

2. वैसे चिकित्सक शिक्षक, जिन्हें एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं, एवं उन विषयों के लिए आवेदक होते हैं, तो उन्हें विभागवार अलग--अलग आवेदन देना होगा तथा इसका उल्लेख On-line आवेदन में करना होगा। एक बार चयनित होने पर किसी भी परिस्थिति में दूसरे विषय में चयन नहीं किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों की डिग्री की मान्यता एम०सी०आई० से प्राप्त नहीं है उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

८२५/171
3/10/19

3. टेन्योर पद पर नियुक्ति के उपरांत चिकित्सक शिक्षकों को वेतनमान लेवेल–09 एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में पूर्व से कार्यरत चिकित्सक जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वही वेतन महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते के साथ देय होंगे।

4. आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 01.08.2019 को, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित है (यथा अनारक्षित (पुरूष)–37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)–40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42 वर्ष), परन्तु बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों के लिए इस उम्र सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

5. जो चिकित्सक सरकारी सेवा में है, उनका आवेदन पत्र नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित होना चाहिए।

6. (i) टेन्योर पद पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार पैनल तैयार किया जायेगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जाएँगे। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

(ii) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में On-line स्वीकार किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए **वेबसाईट** *www.health.bih.nic.in* के **Recruitment Section** पर जाकर दिनांक–05.10.2019 के पूर्वाह्न से दिनांक–22.10.2019 के मध्य रात्रि 11.59 बजे तक Upload किया जा सकता है। आवेदक Website पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ID generate करने के उपरांत Form पूरी तरह भरकर Submit करेंगे।

(iii) आवेदक On-line आवेदन समर्पित करने के पश्चात् आवेदन का E-Mail/Form Print out के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ एवं उपर्युक्त कंडिका–6 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार अग्रसारण counselling के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(iv) अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन आवंटित किया जाएगा--

(क) तीन एम०बी०बी०एस० विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग–

70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
5	4	3	2	1

नोट: एक या अधिक एम०बी०बी०एस० परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामलें, खास एम०बी०बी०एस० परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना, संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार स्पेशियलिटी विषय या विषय–समूह में प्राप्तांक –

70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
5	4	3	2	1

नोट:– आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय–समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।

(ग) स्पेशियलिटी में एम०डी०/एम०एस० — 10 अंक

(घ) उसी स्पेशियलिटी में पी०एच०डी०, डी०एम०,एम०सी०एच० — 10 अंक

(ङ०) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रतिवर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) — 10 अंक

नोट: सरकारी क्षेत्र में नियमित/संविदागत् कार्यानुभव ही मान्य होंगे। किसी भी प्रकार के शैक्षणिक पाठ्यक्रम/फेलोशिप/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कार्यानुभव में गणना नहीं की जाएगी।

(च) किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से समान डिग्री के दुहराव के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। ऐसे एम०आर०सी०पी०, एफ०आर०सी०एस० आदि जो 11.11.1978 एवं उसके बाद प्राप्त किये गए हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जाएगा।

(v) विश्वविद्यालय एम०बी०बी०एस० परीक्षाओं में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 01(एक) अंक घटाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों वे पात्र नहीं होंगे।

(vi) नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हतांक 16 (सोलह) होगा।

7. चयनोपरांत पदस्थापन संबंधी विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन संबंधी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

8. यदि किसी विषय या विभाग में एक या दो ही रिक्तियाँ उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में BHS/PGS/PGO में से अधिकतम अंक पानेवाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

9. जिन चिकित्सकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, अथवा फौजदारी मुकदमा दायर हो, अथवा जो निलंबित हों अथवा लम्बे अवकाश में हों, उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा। तत्संबंधी शपथ पत्र मूल रूप में Print out आवेदन के साथ संलग्न किए जाएं।

10. ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर पूर्व में नियुक्त/एवं कार्यरत चिकित्सक पुनः आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। प्रत्येक आवेदक को शपथ–पत्र मूल रूप में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा की वे पूर्व में आवेदित विषय में M.C.I से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/संस्थान से सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर (तीन वर्षीय) के रूप में कार्य नहीं किया है। शपथ पत्र नहीं दिये जाने की स्थिति में आवेदक की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

11. विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि तक प्राप्त अर्हता ही मान्य होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि तक प्राप्त कार्यानुभव का ही अंक देय होगा।

12. रिक्तियों की विवरणी संलग्न प्रकाशित है। रिक्तियाँ घट–बढ़ सकती है।

४२५(17)/ 3/10/19

03/10/19

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार

राज्य के 09 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के आरक्षणवार रिक्त पदों की विवरणी: –

क्र०	विभाग का नाम	कुल रिक्ति	अनारक्षित			अत्यंत पि० वर्ग			पि० वर्ग			अनु० जाति			अनु० जन–जाति			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			पिछड़े वर्ग की महिला	कुल	स्वतंत्रा सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिये आरक्षित (2%) कुल पदों की संख्या	विकलांग उममीदवारों के लिए (4%) आरक्षित पदों की संख्या
1	2	3	4			5			6			7			8			9			10	11	12	13
		कुल रिक्ति	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	कुल योग	कुल योग में से उपरोक्त के लिए आरक्षित पद	कुल योग में से उपरोक्त के लिए आरक्षित पद
1	औषधि	77	25	09	16	18	05	13	09	03	06	15	04	11	01	00	01	06	02	04	03	77	01	03
2	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	75	30	11	19	14	04	10	09	03	06	12	04	08	01	00	01	07	02	05	02	75	01	04
3	हड्डी	31	03	01	02	09	00	09	03	00	03	12	00	12	01	00	01	01	00	01	02	31	00	00
कुल योग–		183	58	21	37	41	09	32	21	06	15	39	08	31	03	00	03	14	04	10	07	183	02	07